न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 74 / 2021

1 बहाउदीन पुत्र फतू खां उम्र 60 वर्ष मुसलमान कुरेशी
2 रहमान पुत्र फतू खां उम्र 70 वर्ष जाति मुसलमान कुरेशी निवासी वार्ड संख्या 31, मोहल्ला कुरेशियान तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 सिराजूदीन पुत्र लाल खॉ
2 अब्दल सत्तार पुत्र लाल खॉ (मृतक)
3 बतुल बानो पत्नी लाल खॉ (मृतक)
4 जाउदीन पुत्र नबी खॉ
5 गुलामुदीन उर्फ लाल पुत्र नबी खॉ
6 जैतुन पत्नी बसीर खॉ (मृतक)
7 खुर्शीद पुत्र यासीन खॉ (मृतक)
8 अब्दुल रसीद पुत्र यासीन खॉ
9 सलीम पुत्र यासीन
10 महबुब पत्नी यासीन खॉ (मृतक)
11 रफीक पुत्र फत्तु खॉ(मृतक)
12 बाबू पुत्र फत्तु खॉ (मृतक)
13 मुश्ताक पुत्र फत्तु खॉ (मृतक)
14 अला रखी पत्नी फतू खॉ (मृतक) समस्त वार्ड संख्या 31, मोहल्ला, कुरेशियान तहसील व जिला सीकर राज.।
15 उपपंजीयक तहसील सीकर।
16 प्रतीभा पत्नी बजरंगलाल जाति जाट नि. गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 भगवानी पत्नी नाथूसिंह जाति जाट नि. भुँवाला तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2007 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी, महोदय सीकर उनवानी सिराजूदीन बनाम
रफीक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2007

उपस्थिति :

1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री भंवरसिंह बालापोता, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 05.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2007 में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2007 विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित खसरा नम्बर 145 रकबा 2.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.09 हैक्टेयर है, जिसमे प्रार्थी संख्या 1 ता 3 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 7 ता 10 का 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 का है जो सहखातेदार है। भूमियां पुस्तैनी है तथा पीढ़ीयों से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है वर्तमान में कब्जा काश्त भी संयुक्त रूप से उपरोक्त हिस्से अनुसार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज कालू खां मुंशी वादास्पद भूमियों को ठिकाना सीकर के वक्त से काबिज काश्त करते चले आ रहे थे वरवक्त सेटलमेंट कालू खां मुंशी का देहान्त होने के कारण अप्रार्थीगण के पिता फत्तु खां कर्ता खानदान होने के कारण प्रार्थीगण के पितागण अनपढ़ व भोले भाले होने का नाजायज फायदा उठाकर राजस्व अधिकारियों से साज कर वादास्पद भूमियों के राजस्व अभिलेख मे अपना नाम दर्ज करवा लिया जिसकी प्रार्थीगण के पितागण को जानकारी नही होने दी, अब लोगो के बहकाने से बेईमानी आ गई जो दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू हो रहे है एवं खातेदारी अधिकारो को चुनौती दे रहे है, का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को रिकार्ड मौके की यथास्थिति एवं अन्तरण के नामान्तकरण की कार्यवाही नही करने हेतु अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया कर नोटिस जारी कर दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 12.03.2007 को एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने दिनांक 11.04'.2007 जो जवाब प्रस्तुत कर दिया, इसके बावजूद भी करीबन 14 वर्षो से प्रार्थीगण ऐनकेन प्रकेरण आगे से आगे तारिख ले रहे है, एवं विचारण न्यायालय भी उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश का निस्तारण नही कर रहे है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ख. न. 145 रकबा 2.01 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 32 रकबा 7 बिस्वा 18 बिस्वा था पर राज काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय कब्जा काश्त फत्तु खॉ का होने के कारण धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नामान्तरण संख्या 27 के जरिये दिनांक 29.03.1960 को खातेदारी फत्तु खां के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नाम की गई थी। फत्तु खॉ ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमियों को दिनांक 09.05.1986 को रहमान, बाबू, बहाउदीन, एवम मुस्ताक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिलएवज में विक्रय कर दी, उसके बाद बाबू एवं मुस्ताक ने अपना 1/2 हिस्सा हिस्से में से रेस्पोडेण्ट संख्या 16 व 17 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के विक्रय कर दिया एवं उसके बाद अपीलाण्ट एवं खरीदकर्त्ताओ के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा भी हो गया। जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 के हिस्से में आई भूमि का खसरा नम्बर 1435/146 रकबा 1.04 है. एवं अपीलाण्ट संख्या 2 के हिस्से में आई भूमि का खसरा नम्बर 1436/146 रकबा 1.04 है. कायम हुआ है, जिसको आज तक कोई चुनौती नही दी है। कालू खां की मृत्यु 1920 मे हो गई थी, उस समय फत्तु खां अपने भाईया ने पूर्णतया अलग रहता था इसलिए इन भूमियों में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 10 का हिस्सा एवं कब्जा काश्त होना कतई गलत है, अधिनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजो के आधार पर ही बिना पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अंतरिम स्थगन आदेश रिकार्डेट खातेदारों के विरूद्ध जारी किया है। विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 (क) की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट अब्दुल सत्तार, सन् 2017 श्रीमती बतुल बानो सन् 2011, श्रीमती जैतुन सन् 2011, खुर्शीद सन् 2015, महबुब सन् 2020 रफीक सन 2020, बाबू सन 2018, मुस्ताक खॉ सन 2018, अलारखी सन् 2008, को मृत्यु हो चुकी है, जिनके कायम मुकाम आज तक नहीं बने है, तथा नही कोई आज तक आवेदन प्रस्तुत हुआ है, कानूनन भी दावा एवं आवेदन अबैट हो चुके है। अत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जावें। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2001(1) पेज 01, आर.आर. टी. 2011–12 (Supp.) पेज 217 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व है। धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। इस आवेदन का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुनकर किया जाना शेष है। तहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते कायम मुकाम नियत है। विलम्ब विधिक प्रकिया की पालना में हो रहा है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नही किया जा रहा है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्व है। धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। इस आवेदन का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है। तहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते कायम मुकाम नियत है। यद्यपि प्रकरण में विलम्ब विधिक प्रकिया की पालना में हो रहा है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नही किया जा रहा है तथापि अन्तरिम स्थगन को काफी लम्बा समय हो चुका है। अत विचारण न्यायालय को दिन प्रतिदिन की पेशी दी जाकर अन्तिम निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस स्तर पर अन्तरिम स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिन प्रतिदिन की पेशी सुनवाई हेतु दी जाकर आगामी एक माह में उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर